रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112023-250325
CG-DL-E-30112023-250325

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 777]	नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 28, 2023/अग्रहायण 7, 1945
No. 777]	NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 28, 2023/AGRAHAYANA 7, 1945

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2023

फा. सं. सेक/एन.सी.आई.एस.एम./ रेग(1)/2023.—भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) की धारा 55 की उप-धारा 1 और उप-धारा (जेड.एल.), (जेड.एम.), (जेड.एन.), (जेड.ओ.), (जेड.पी.), और (जेड.क्यू.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

अध्याय I

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –** (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (अर्हता मान्यता) विनियम, 2023 कहा जाएगा।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषाएं-** (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) "अधिनियम" से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) अभिप्रेत है;"

   (ख) "अनुलग्नक" का अर्थ है इन विनियमों से संलग्न अनुबंध;

   (ग) “बोर्ड” से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड, यथा प्रकरण, है;

(घ) "उपाधि प्रदान करने वाला निकाय" से ऐसा विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान जो भारतीय चिकित्सा पद्धति में उपाधि प्रदान करता है, अभिप्रेत है;"

(ङ) "प्रारूप" से इन विनियमों से उपाबद्ध प्रारूप अभिप्रेत है;

(च) "चिकित्सा अर्हता" से किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्था या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र, स्नातकोत्तर अध्येतावृत्ति, अति विशिष्ट उपाधि या आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा चिकित्सा पद्धतियों में कोई अन्य अर्हता अभिप्रेत है;

(छ) "अनुक्रम कोड" का अर्थ किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता को दिया गया कोड है।

(2) इसमें प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्ति, जो यहां परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में है।

अध्याय -II

भारत में स्थापित संस्थानों या विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता

3. **चिकित्सा अर्हता मान्यता के लिए प्रक्रिया-** (1) भारत में स्थापित उपाधि प्रदान करने वाला निकाय, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद या भारत सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित है, यथास्थिति, भारतीय चिकित्सा पद्धति में उपाधियां प्रदान करने वाला चिकित्सा अर्हता मान्यता के लिए अध्यक्ष, आयुर्वेद बोर्ड या अध्यक्ष, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड को आवेदन करेगा। ''आवेदन" स्नातक पाठ्यक्रम के लिए अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न प्रपत्र-35क में और स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों या किसी अन्य उपाधि के लिए अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न प्रपत्र-35ख में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाएगा।

(2) संबंधित बोर्ड निम्नलिखित मानदंडों पर आवेदन का सत्यापन करेगा, अर्थात्: -

(क) चिकित्सा संस्थान या विश्वविद्यालय को आयोग या पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद या भारत सरकार द्वारा विधिवत अनुमति है;

(ख) चिकित्सा संस्थान या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा अर्हता का नामकरण आयोग या पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के संबंधित विनियमों के तहत निर्दिष्ट है;

(ग) चिकित्सा अर्हता के पाठ्यक्रम की अवधि, आयोग या पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा के संबंधित नियमों में निर्दिष्ट है;

(घ) पाठ्यक्रम के लिए अपनाया गया पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या आयोग या पूर्ववर्ती केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अनुशंसित है; और

(ङ) पाठ्यक्रम के लिए मूल्यांकन पद्धति, आयोग या पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार है'।

(3) सत्यापन पर, यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उसे संबंधित बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सुधार के लिए उपाधि देने वाले निकाय को सूचित किया जाएगा;

(4) त्रुटि को दूर करने पर, यदि आवेदन अपेक्षित मानदंडों को पूर्ण करता है, तो बोर्ड इसे अधिसूचित करेगा जैसा कि विनियम 5 में निर्दिष्ट है।

(5) त्रुटिनिवारण के पश्चात्, यदि आवेदन अपेक्षित मानदंडों को पूर्ण नहीं करता है, तो आवेदन को उसके कारण का उल्लेख करते हुए अस्वीकार कर दिया जाएगा।

4. **अपील –** (1) विश्वविद्यालय या उपाधि प्रदान करने वाले चिकित्सा संस्थान, यदि बोर्ड के आदेश से असंतुष्ट हैं, तो बोर्ड के आदेश की एक प्रति विश्वविद्यालय या उपाधि प्रदान करने वाले चिकित्सा संस्थानों को उपलब्ध कराने की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर निर्दिष्ट सभी संलग्नकों के साथ अनुलग्नक-III में प्रपत्र-35ग में आयोग के सभापति को ऑनलाइन या ऑफ़लाइन अपील कर सकते हैं।

(2) आयोग, अपील की प्राप्ति की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, विनियम 3 के उप-विनियम (2) के खंड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) में उल्लिखित मानदंडों पर अपील की जांच करेगा और जांच के बाद, यदि आयोग यह निर्णय लेता है कि ऐसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता दी जा सकती है, तो आयोग संबंधित बोर्ड को मान्यता देने का निर्देश देगा।

(3) जांच करने पर, यदि अपील दोषपूर्ण पाई जाती है, तो आयोग अपील को अस्वीकार कर सकता है और अपील को अस्वीकार करने से पहले, उपाधि देने वाले निकाय को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

(4) आयोग द्वारा मान्यता प्रदान करने से अस्वीकार करने या दो माह की निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्णय लेने में विफलता की स्थिति में, विश्वविद्यालय या उपाधि प्रदान करने वाले चिकित्सा संस्थान ऐसे निर्णय की सूचना की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार को संबोधित, केन्द्र सरकार को दूसरी अपील कर सकते हैं।

(5) केंद्र सरकार, विनियम 3 के उप-विनियम (2) के खंड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) में उल्लिखित मानदंडों पर ऐसी दूसरी अपील की जांच करेगी और यदि केंद्र सरकार यह निर्णय लेती है कि ऐसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता दी जा सकती है, तो वह आयोग को मान्यता देने और विनियमन 5 के अनुसार ऐसी अर्हताओं को शामिल करने का निर्देश दे सकती है।

(6) यदि केंद्र सरकार का मत है कि इस प्रकार की चिकित्सा अर्हता को मान्यता नहीं दी जा सकती है, तो केंद्र सरकार लिखित में दर्ज किए जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए ऐसी अपील को अस्वीकार और निस्तारित कर सकती है।

5. **चिकित्सा अर्हता का समावेश–** (1) इस अध्याय के अंतर्गत एक बार जब चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान कर दी जाती है तो आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड, जैसा भी मामला हो, ऐसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता को, इसके प्रभाव की तारीख के साथ संबंधित बोर्ड द्वारा अलग से रखी गई सूची में शामिल करेगा और इस सूची को अनुलग्नक-VII के रूप में संलग्न प्रारूप में रखा जाएगा और विवरण को सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को सूचित और अनुबंध –VIII में दिए गए प्रारूप में आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हताओं के समावेश और सूचीबद्ध करने के प्रयोजनों के लिए, एक अनुक्रम कोड उत्पन्न किया जाएगा। यह कोड राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संक्षिप्त नाम, विश्वविद्यालय या उपाधि देने वाले संस्थान, कॉलेज या संस्थान कोड की क्रम संख्या, मान्यता प्रदान करने के वर्ष, अर्हता कोड और संशोधन, यदि कोई हो, का संयोजन होगा।

(क) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संक्षिप्त नाम से, जिसमें विश्वविद्यालय या उपाधि देने वाला संस्थान निम्नलिखित सारणी के अनुसार अवस्थित है, निरूपित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका-1

(राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कोड)

क्रम संख्या	**राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन**	**संक्षिप्त रूप**
(1)	(2)	(3)
1.	आंध्र प्रदेश	ए.पी.
2.	अरुणाचल प्रदेश	ए.आर.
3.	असम	ए.एस.
4.	बिहार	बी.आर.
5.	छत्तीसगढ़	सी.जी.
6.	गोवा	जी.ए.

7.	गुजरात	जी.जे.
8.	हरियाणा	एच.आर.
9.	हिमाचल प्रदेश	एच.पी.
10.	झारखंड	जे.एच.
11.	कर्नाटक	के.ए.
12.	केरल	के.एल.
13.	मध्य प्रदेश	एम.पी.
14.	महाराष्ट्र	एम.एच.
15.	मणिपुर	एम.एन.
16.	मेघालय	एम.एल.
17.	मिजोरम	एम.जेड.
18.	नागालैंड	एन.एल.
19.	ओडिशा	ओ.डी.
20.	पंजाब	पी.बी.
21.	राजस्थान	आर.जे.
22.	सिक्किम	एस.के.
23.	तमिलनाडु	टी.एन.
24.	त्रिपुरा	टी.आर.
25.	तेलंगाना	टी.जी.
26.	उत्तराखंड	यू.के.
27.	उत्तर प्रदेश	यू.पी.
28.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यू.बी.
29.	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	जे.के.
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र	ए.एन.
31.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	सी.एच.
32.	दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र और दमन और दीव	डी.डी.
33.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	डी.एल.
34.	लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र	एल.डी.
35.	पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र	पी.वाई.
36.	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	एल.ए.

(ख) विश्वविद्यालय या उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन के उनके अनुक्रमिक क्रम के अनुसार क्रमांकित जाएगा, उदाहरण के लिए, पहले आवेदन को '01' के रूप में गिना जाएगा, दूसरा '02' और इसी प्रकार आगे भी।

(ग) संस्थान या कॉलेज कोड भारतीय चिकित्सा पद्धति - चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा आवंटित संस्थागत आई.डी. होगा।

(घ) वर्ष संबंधित बोर्ड द्वारा चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान करने का वर्ष होगा।

(ङ) अर्हता कोड निम्नलिखित तालिका के अनुसार होगा, अर्थात्: -

तालिका-2

क्रम संख्या	अर्हता	कोड
(1)	(2)	(3)
1.	स्नातक	क
2.	गैर शल्य चिकित्सा विषयों में स्नातकोत्तर	ख
3.	शल्य चिकित्सा विषयों में स्नातकोत्तर	ग
4.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	घ
5.	भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा अनुमोदित कोई भी नई उपाधि को परिणामी ङ, च, छ और इसी प्रकार कोडित किया जाएगा।	
6.	संशोधन, यदि कोई हो: कोई भी संशोधन जैसे कि नामकरण में परिवर्तन, विषयों को जोड़ना और इसी प्रकार, ए$_1$, ए$_2$ ए$_3$....बी$_1$, बी$_2$, बी$_3$ इसी प्रकार कोडित किया जाएगा।	

(3) अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (8) के अनुसार, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (दिनांक : 11-06-2021 को निरस्त) की अनुसूची-II और अनुसूची-III के अतंर्गत मान्यता प्राप्त या शामिल सभी उपाधि या अर्हता को सूचीबद्ध और बनाए रखा जाएगा और साथ ही आयोग के संबंधित बोर्ड द्वारा आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और कोई अन्य जोड़ या सम्मिलन या संशोधन नहीं होगा।

अध्याय III

भारत के बाहर स्थापित संस्थानों या विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता

6. **भारत के बाहर चिकित्सा अर्हता की मान्यता की प्रक्रिया-** भारत के बाहर स्थित विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान, जो अपने संबंधित देशों के शीर्ष निकायों या नियामक प्राधिकरणों द्वारा विधिवत अधिकृत हैं और आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा चिकित्सा पद्धतियों में उपाधि प्रदान कर रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए पात्र हैं। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन प्रपत्र -36क के रूप में उपलब्ध है, जिसे आयोग की वेबसाइट पर अनुलग्नक-IV के रूप में संलग्न किया गया है। स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों और किसी भी अन्य उपाधि के लिए, आवेदन प्रपत्र -36ख में उपलब्ध है, जो अनुलग्नक-V के रूप में संलग्न है।

7. **आवेदन की जांच-** (1) आयोग, विनियम 3 के उप-विनियमन (2) के खंड (क), (ख), (ग), (घ), और (ङ) में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर आवेदन की जांच करेगा और विनियमन 6 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदनों को संसाधित करेगा। यदि, जांच करने पर, आवेदन सही पाया जाता है, तो इसे विधिवत पंजीकृत किया जाएगा और विनियमन 9 के उप-विनियमन (2) में प्रदान किए गए अनुसार एक अनुक्रम कोड दिया जाएगा।

(2) यदि, जांच के बाद, आवेदन दोषपूर्ण पाया जाता है और पहचाना गया दोष औपचारिक प्रकृति का है, तो आयोग संबंधित देश के विश्वविद्यालय, चिकित्सा संस्थान, शीर्ष निकाय या नियामक प्राधिकरण को आवेदन को सुधारने की अनुमति दे सकता है। यदि दोष औपचारिक प्रकृति के नहीं हैं, तो आयोग विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान को दोषों को सुधारने के लिए उचित समय दे सकता है, जैसा कि वह उचित समझता है।

(3) यदि संबंधित देश का विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान या शीर्ष निकाय या नियामक प्राधिकरण उप-विनियमन (2) के तहत अनुमत समय के भीतर दोषों को सुधारने में विफल रहता है, तो आयोग, आदेश द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान को ऐसी चिकित्सा अर्हता की मान्यता अस्वीकार करने की घोषणा कर सकता है और इसकी सूचना आवेदक के साथ-साथ देश के शीर्ष या नियामक प्राधिकरण को दी जाएगी।

(4) किसी विश्वविद्यालय, चिकित्सा संस्थान, शीर्ष निकाय या नियामक प्राधिकरण की मान्यता को अस्वीकार करने से पहले, आयोग ऐसे विश्वविद्यालय, चिकित्सा संस्थान, शीर्ष निकाय या नियामक प्राधिकरण को सुनने के लिए एक उचित अवसर प्रदान करेगा।

(5) विश्वविद्यालय, चिकित्सा संस्थान, सर्वोच्च निकाय या नियामक प्राधिकरण को सुनने के बाद, यदि आयोग की राय है कि ऐसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता दी जा सकती है, तो यथा प्रकरण यह ऐसी अर्हता को शामिल करेगा और संबंधित विश्वविद्यालय, चिकित्सा संस्थान, सर्वोच्च निकाय या नियामक प्राधिकरण को निर्णय से अवगत कराएगा। यह पत्र इस विनियम में विनिर्दिष्ट अनुलग्नक-IX के रूप में संलग्न प्रारूप में किया जाएगा और इन विनियमों में अनुलग्नक-X के रूप में संलग्न प्रारूप में आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

8. **अपील –** (1) संबंधित देश का विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान या शीर्ष निकाय या विनियामक प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, यदि आयोग के आदेश से असंतुष्ट है, तो वह सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, को संबोधित केंद्र सरकार को प्रपत्र-36ग में अपील कर सकता है, जिसे अनुलग्नक-VI के रूप में संलग्न किया गया है।

(2) केंद्र सरकार विनियमन 3 के उप-विनियमन (2) के खंड (क), (ख), (ग), (घ), और (ङ) में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर अपील की जांच करेगी। यदि उसकी यह राय है कि ऐसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान की जा सकती है, तो वह आयोग को मान्यता देने और विनियमन 9 में प्रदान की गई ऐसी अर्हताओं को शामिल करने का निर्देश दे सकता है।

(3) यदि केंद्र सरकार की राय है कि इस प्रकार की चिकित्सा अर्हता को मान्यता नहीं दी जा सकती है, तो वह लिखित में दर्ज कारणों को प्रदान करते हुए ऐसी अपील को अस्वीकार और निस्तारित कर सकती है।

9. **चिकित्सा अर्हता का समावेश-** (1) इस अध्याय के तहत एक बार जब किसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता दी जाती है, तो आयोग इसे आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा चिकित्सा पद्धतियों के लिए अलग से रखी गई सूची में इन विनियमों के अनुलग्नक-IX के रूप में निर्दिष्ट प्रारूप में शामिल करेगा जो कि आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी जैसा कि अनुबंध-X के रूप में संलग्न प्रारूप में निर्दिष्ट है।

(2) मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता के समावेश और सूचीबद्ध के प्रयोजनों के लिए, एक अनुक्रम कोड उत्पन्न किया जाएगा, जो निम्नलिखित क्रम और तरीके से एक संक्षिप्त संयोजन होगा, अर्थात्:

(क) उस देश का नाम जिसमें विश्वविद्यालय स्थित है;

(ख) विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था का नाम;

(ग) कॉलेज का नाम;

(घ) आयोग द्वारा मान्यता का वर्ष; तथा

(ङ) मान्यता प्राप्त अर्हता का नामकरण।

(3) अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (4) के अनुसार, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (दिनांक: 11-06-2021 को निरस्त) की चौथी अनुसूची के अंतर्गत मान्यता प्राप्त या शामिल सभी उपाधि या अर्हताओं को आयोग के संबंधित बोर्ड द्वारा आयोग की वेबसाइट पर सूचीबद्ध, बनाए रखी जाएगी और प्रदर्शित किया जाएगा, और आगे कोई जोड़, सम्मिलन या संशोधन नहीं होगा।

बी.एल. मेहरा, प्रभारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./559/2023-24]

अनुलग्नक – I

प्रपत्र-35 'क'

(विनियम 3 का उप-विनियम (1) देखें)

"स्नातक पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन"

(भारत में स्थित संस्थानों या विश्वविद्यालयों के लिए)

अनुदेश:-

1. आवेदन उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान या विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।
2. यदि कई संस्थान एकल विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, तो प्रत्येक संस्थान के लिए अलग से आवेदन प्रस्तुत किया जाना है।
3. आवेदन अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करने या उपाधि प्रदान करने के बाद या पहले बैच की प्रशिक्षुता के दौरान प्रस्तुत किया जा सकता है।

1.	उपाधि प्रदान करने वाले निकाय का नाम	
2.	उपाधि प्रदान करने वाले निकाय का पता	
3.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की ई-मेल आईडी	
4.	(i) नाम और पदनाम के साथ संबंधित व्यक्ति (ii) मोबाइल नंबर (संबंधित व्यक्ति) (iii) ई-मेल आईडी (संबंधित व्यक्ति)	
5.	मेडिकल स्ट्रीम (आयुर्वेद या यूनानी या सिद्ध या सोवा-रिग्पा)	
6.	संस्थान का नाम	
7.	उपाधि का नामकरण	
8.	उपाधि का संक्षिप्त विवरण (यदि कोई हो)	
9.	प्रथम बैच के प्रवेश का माह और वर्ष	
10.	अनंतिम प्रमाण पत्र या सम्मानित उपाधि जारी की गई है	हाँ / नही
	यदि हाँ i. अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने का माह और वर्ष	
	ii. प्रशिक्षुता के पूरा होने का माह और वर्ष	
	iii. प्रथम बैच के प्रथम छात्र को अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करने या उपाधि प्रदान करने का माह और वर्ष	
	यदि नहीं i. अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने का माह और वर्ष	
	ii. प्रशिक्षुता के प्रारंभ की तिथि	
	iii. प्रशिक्षुता के पूरा होने का संभावित माह और वर्ष	
11.	उपाधि प्रदान करना जारी रखा जा रहा है?	हाँ / नही
	यदि नहीं पिछले बैच के अंतिम छात्र को उपाधि प्रदान करने का माह और वर्ष।	
नोट: - कृपया जहां लागू न हो वहां 'एन.ए.' का उल्लेख करें।		

संलग्नक:-

1. मूल रूप से प्रदान की गई या सफल उम्मीदवारों को प्रदान की जाने वाली उपाधि की रद्द प्रति या नमूना।
2. पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की प्रति।
3. अनुमति पत्रों की प्रतियां।

घोषणा या प्रमाणीकरण:-

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए या संलग्न विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही हैं। मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि यह विश्वविद्यालय या उपाधि देने वाला निकाय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित नियमों और विनियमों का पालन कर रहा है और इसके अतिरिक्त यह विश्वविद्यालय या उपाधि देने वाला निकाय इससे संबद्ध आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा कॉलेजों में इसे लागू कर रहा है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

उपाधि प्रदान करने वाले निकाय की सील दिनांक सहित

अनुलग्नक - II

प्रपत्र-35 'ख'

(विनियम 03 का उप-विनियम (1) देखें)

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को मान्यता देने के लिए आवेदन

(भारत में स्थित संस्थानों या विश्वविद्यालयों के लिए)"

अनुदेश:-

1. आवेदन उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान या विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।
2. यदि कई संस्थान एकल विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, तो प्रत्येक संस्थान के लिए अलग से आवेदन प्रस्तुत किया जाना है।
3. आवेदन अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करने या प्रथम बैच को उपाधि प्रदान करने के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है।

1.	उपाधि प्रदान करने वाले निकाय का नाम	
2.	उपाधि प्रदान करने वाले निकाय का पता	
3.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की ईमेल आईडी	
4.	संबंधित व्यक्ति (नाम और पदनाम)	
5.	मोबाइल नंबर (संबंधित व्यक्ति)	
6.	ईमेल आई.डी. (संबंधित व्यक्ति)	
7.	मेडिकल स्ट्रीम (आयुर्वेद या यूनानी या सिद्ध या सोवा-रिग्पा)	
8.	संस्थान का नाम	
9.	उपाधि प्रदान करना जारी रखा जा रहा है?	हाँ / नही
	यदि नहीं पिछले बैच के अंतिम छात्र को उपाधि प्रदान करने का माह और वर्ष।	
नोट: - कृपया जहां लागू न हो वहां 'एन.ए.' का उल्लेख करें।		

मान्यता प्राप्त की जाने वाली चिकित्सा अर्हता (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) का विवरण:

क्रम संख्या	पी.जी. विषय	उपाधि का नामकरण और संक्षिप्त नाम	प्रथम बैच के प्रवेश का माह और वर्ष	प्रथम बैच की अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने का माह और वर्ष	प्रथम बैच के प्रथम छात्र को अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करने या उपाधि प्रदान करने का माह और वर्ष (सम्मानित या सम्मानित किया जाना)	अनुमति पत्र की तिथि और संदर्भ

मान्यता प्राप्त किए जाने वाले चिकित्सा अर्हता (स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) का विवरण:

क्रम संख्या	पी.जी.-डिप्लोमा विषय	उपाधि का नामकरण और संक्षिप्त नाम	प्रथम बैच के प्रवेश का माह और वर्ष	प्रथम बैच की अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने का माह और वर्ष	प्रथम बैच के प्रथम छात्र को अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करने या उपाधि प्रदान करने का माह और वर्ष (सम्मानित या सम्मानित किया जाना)	अनुमति पत्र की तिथि और संदर्भ

संलग्नक:-

1. मूल रूप से या सफल उम्मीदवार को प्रदान की जाने वाली उपाधि की रद्द प्रति या नमूना।
2. पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की प्रति।
3. अनुमति पत्र की प्रतियां।

घोषणा या प्रमाणीकरण:-

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए या संलग्न विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही हैं। मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि यह विश्वविद्यालय या उपाधि देने वाला निकाय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित नियमों और विनियमों का पालन कर रहा है और इसके अतिरिक्त यह विश्वविद्यालय या उपाधि देने वाला निकाय इससे संबद्ध आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा कॉलेजों में इसे लागू कर रहा है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

उपाधि प्रदान करने वाले निकाय की सील दिनांक सहित

अनुलग्नक –III

प्रपत्र 'ग'

(विनियम 4 देखें)

अपील के लिए प्रारूप

(भारत में स्थित संस्थानों या विश्वविद्यालयों के लिए)

1.	असंतुष्ट उपाधि प्रदान करने वाले निकाय का नाम	
2.	असंतुष्ट उपाधि प्रदान करने वाले निकाय का पता	
3.	संबंधित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की ई-मेल आई.डी.	

4.	संबंधित व्यक्ति (नाम और पदनाम)	
5.	मोबाइल नंबर (संबंधित व्यक्ति)	
6.	ई-मेल आई.डी. (संबंधित व्यक्ति)	
7.	मेडिकल स्ट्रीम (आयुर्वेद या यूनानी या सिद्ध या सोवा-रिग्पा)	
8.	संस्थान का नाम	
9.	उपाधि का नामकरण	
10.	उपाधि का संक्षिप्त विवरण (यदि कोई हो)	
11.	बोर्ड को पहले आवेदन की तिथि	
12.	संबंधित बोर्ड द्वारा आवेदन अस्वीकार करने की तिथि	
13.	संबंधित बोर्ड द्वारा आवेदन से अस्वीकार करने का कारण	
14.	प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ उपाधि प्रदान करने वाले निकाय की अपील या प्रार्थना	
नोट: - कृपया जहां लागू न हो वहां 'एन.ए.' का उल्लेख करें।		

घोषणा:-

यह घोषित किया जाता है कि ऊपर दिए गए या संलग्न विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही हैं।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

उपाधि प्रदान करने वाले निकाय की सील दिनांक सहित

अनुलग्नक-IV

प्रपत्र-36 'क'

(विनियम 6 देखें)

स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन

(भारत के बाहर के संस्थानों या विश्वविद्यालयों के लिए)

अनुदेश:-

1. उपाधि प्रदान करने वाले चिकित्सा संस्थान या विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया जाना है।
2. यदि कई संस्थान एकल विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, तो प्रत्येक संस्थान के लिए अलग से आवेदन प्रस्तुत किया जाना है। .
3. उपाधि प्रदान करने के बाद आवेदन प्रस्तुत किया जाना है।

1.	पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थान का नाम	
2.	सर्वोच्च निकाय का नाम जिसने मान्यता के लिए आवेदन किए गए पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी	
3.	संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम	
4.	विश्वविद्यालय का पता	

5.	विश्वविद्यालय कुलसचिव या अधिकृत अधिकारी की ई-मेल आई.डी.	
6.	संबंधित व्यक्ति (नाम और पदनाम)	
7.	मोबाइल नंबर (संबंधित व्यक्ति)	
8.	देश कोड	
9.	ई-मेल आईडी (संबंधित व्यक्ति)	
10.	मेडिकल स्ट्रीम (आयुर्वेद या यूनानी या सिद्ध या सोवा-रिग्पा)	
11.	उपाधि का नामकरण	
12.	उपाधि का संक्षिप्त विवरण (यदि कोई हो)	
13.	प्रथम बैच के प्रवेश का माह और वर्ष	
14.	प्रथम बैच के प्रथम छात्र को प्रदान की गई उपाधि का माह और वर्ष	
15.	उपाधि प्रदान करना जारी रखा जा रहा है?	हाँ / नही
	यदि नहीं पिछले बैच के अंतिम छात्र को उपाधि प्रदान करने का माह और वर्ष	
नोट: - कृपया जहां लागू न हो वहां 'एन.ए.' का उल्लेख करें।		

संलग्नक:-

1. मूल रूप से प्रदान की गई या सफल उम्मीदवारों को प्रदान की जाने वाली उपाधि की रद्द प्रति या नमूना।
2. पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम और पाठचर्या की प्रति।
3. अनुमति पत्रों की प्रति।

घोषणा या प्रमाणीकरण:-

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए या संलग्न विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही हैं। मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि यह विश्वविद्यालय या उपाधि देने वाला निकाय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित नियमों और विनियमों का पालन कर रहा है और इसके अतिरिक्त यह विश्वविद्यालय या उपाधि देने वाला निकाय इससे संबद्ध आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा कॉलेजों में इसे लागू कर रहा है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

उपाधि प्रदान करने वाले निकाय की सील दिनांक सहित

अनुलग्नक –V

प्रपत्र-36 'ख'

(विनियम 6)

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन

(भारत के बाहर के संस्थानों या विश्वविद्यालयों के लिए)

अनुदेश:-

1. उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान या विश्वविद्यालय या शीर्ष निकाय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया जाना है।
2. यदि कई संस्थान एकल विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, तो प्रत्येक संस्थान के लिए अलग से आवेदन प्रस्तुत किया जाना है।

3. उपाधि प्रदान करने के बाद आवेदन प्रस्तुत किया जाना है।

1.	पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थान का नाम	
2.	सर्वोच्च निकाय का नाम जो लागू पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन प्रदान करता है	
3.	संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम	
4.	विश्वविद्यालय का पता	
5.	विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या अधिकृत अधिकारी की ई-मेल आई.डी.	
6.	संबंधित व्यक्ति (नाम और पदनाम)	
7.	मोबाइल नंबर (संबंधित व्यक्ति)	
8.	ई-मेल आईडी (संबंधित व्यक्ति)	
9.	मेडिकल स्ट्रीम (आयुर्वेद या यूनानी या सिद्ध या सोवा-रिग्पा)	
10.	उपाधि प्रदान करना जारी रखा जा रहा है?	हाँ / नही
	यदि नहीं पिछले बैच के अंतिम छात्र को उपाधि प्रदान करने का माह और वर्ष	
नोट: - कृपया जहां लागू न हो वहां 'एन.ए.' का उल्लेख करें।		

मान्यता प्राप्त की जाने वाली चिकित्सा अर्हता (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) का विवरण:

क्रम संख्या	पी.जी. विषय	उपाधि का नामकरण और संक्षिप्त नाम	प्रथम बैच के प्रवेश का माह और वर्ष	प्रथम बैच की अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने का माह और वर्ष	उपाधि प्रदान करने का माह और वर्ष

मान्यता प्राप्त किए जाने वाले चिकित्सा अर्हता (स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) का विवरण:

क्रम संख्या	पी.जी.-डिप्लोमा विषय	उपाधि का नामकरण और संक्षिप्त नाम	प्रथम बैच के प्रवेश का माह और वर्ष	प्रथम बैच की अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने का माह और वर्ष	प्रथम बैच के प्रथम छात्र को उपाधि प्रदान करने का माह और वर्ष

संलग्नक:-

1. मूल रूप से या सफल उम्मीदवारों को प्रदान की जाने वाली उपाधि की रद्द प्रति या नमूना।
2. पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उसके बाद पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की प्रति।

3. अनुमति पत्र की प्रतियां।

घोषणा या प्रमाणीकरण:-

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए या संलग्न विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही हैं। मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि यह विश्वविद्यालय या उपाधि देने वाला निकाय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित नियमों और विनियमों का पालन कर रहा है और इसके अतिरिक्त यह विश्वविद्यालय या उपाधि देने वाला निकाय इससे संबद्ध आयुर्वेद सिद्ध यूनानी और सोवा-रिग्पा कॉलेजों में इसे लागू कर रहा है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

उपाधि प्रदान करने वाले निकाय की सील दिनांक सहित

अनुलग्नक -VI

प्रपत्र-36 'ग'

(विनियम 8 देखें)

अपील के लिए प्रारूप

(भारत के बाहर के संस्थानों या विश्वविद्यालयों के लिए)

1.	उस देश का नाम जिसमें उपाधि देने वाला निकाय स्थित है	
2.	पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थान का नाम	
3.	सर्वोच्च निकाय का नाम जो लागू पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन प्रदान करता है	
4.	असंतुष्ट उपाधि प्रदान करने वाले निकाय का नाम	
5.	असंतुष्ट उपाधि प्रदान करने वाले निकाय का पता	
6.	विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार या अधिकृत अधिकारी की ई-मेल आई.डी.	
7.	संबंधित व्यक्ति (नाम और पदनाम)	
8.	मोबाइल नंबर (संबंधित व्यक्ति)	
9.	देश कोड	
10.	ई-मेल आई.डी. (संबंधित व्यक्ति)	
11.	मेडिकल स्ट्रीम (आयुर्वेद या यूनानी या सिद्ध या सोवा-रिग्पा)	
12.	उपाधि का नामकरण	
13.	उपाधि का संक्षिप्त विवरण (यदि कोई हो)	
14.	बोर्ड को पहले आवेदन की तिथि	
15.	संबंधित बोर्ड द्वारा आवेदन अस्वीकार करने की तिथि	
16.	संबंधित बोर्ड द्वारा आवेदन से अस्वीकार करने का कारण	
17.	असंतुष्ट उपाधि प्रदान करने वाले निकाय की अपील या प्रार्थना	
18.	अपील का औचित्य	
नोट: - कृपया जहां लागू न हो वहां 'एन.ए.' का उल्लेख करें।		

घोषणा:-

यह घोषित किया जाता है कि ऊपर दिए गए या संलग्न विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही हैं।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

उपाधि प्रदान करने वाले निकाय की सील दिनांक सहित

अनुलग्नक -VII

(विनियम 5 देखें)

राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता के विवरण

को संप्रेषित करने के लिए प्रारूप

क्रम संख्या	फ़ाइल सं. और तिथि	राज्य	विश्वविद्यालय का नाम	कॉलेज का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता और संक्षेप	अनुक्रम कोड	वैधता अवधि

अनुलग्नक-VIII

(विनियम 5 देखें)

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता के विवरण के लिए प्रारूप

(भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 35 के लिए)

क्रम संख्या	राज्य	विश्वविद्यालय का नाम	कॉलेज का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता और संक्षेप	अनुक्रम कोड	मान्यता की वैधता अवधि	विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत नमूना उपाधि प्रमाण पत्र	अधिसूचना की प्रति

अनुलग्नक-IX

(विनियम 9 देखें)

मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता के संचार विवरण के लिए प्रारूप

क्रम संख्या	फ़ाइल सं. और तिथि	देश	विश्वविद्यालय का नाम	कॉलेज का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता और संक्षेप	अनुक्रम कोड	वैधता अवधि

अनुलग्नक - X

(विनियम 9 देखें)

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता के विवरण के लिए प्रारूप

(भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 36 के लिए)

क्रम संख्या	देश	विश्वविद्यालय का नाम	कॉलेज का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता और संक्षेप	अनुक्रम कोड	मान्यता की वैधता अवधि	विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत नमूना उपाधि प्रमाण पत्र	अधिसूचना की प्रति

THE NATIONAL COMMISSION FOR INDIAN SYSTEM OF MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2023

F. No. Sec/NCISM/Reg(1)/2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 and clauses (zl), (zm), (zn), (zo), (zp) and (zq) of sub-section (2) of section 55 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020), the National Commission for Indian System of Medicine hereby makes the following regulations, namely:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement. - (1)** These regulations may be called the National Commission for Indian System of Medicine (Recognition of Qualifications) Regulations, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**. -(1) In these regulation, unless the context otherwise requires,-

   (a) "Act" means the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020);

   (b) "Annexure" means Annexure appended to these regulations;

   (c) "Board" means the Board of Ayurveda or the Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa, as the case may be, constituted under section 18 of the Act;

   (d) "Degree awarding body" means a university or a medical Institute that awards degree in Indian System of Medicine;

   (e) "Form" means a Form annexed to these regulations;

   (f) "medical qualification" means Undergraduate degree, Post Graduate degree, Post Graduate diploma, Post Graduate certificate, Post Graduate fellowship, Super Specialty degree or any other qualification in Ayurveda, Unani, Siddha and Sowa-Rigpa medical systems awarded by any recognised Medical Institution or University;

   (g) "sequence code" means the Code given to a recognised medical qualification.

   (2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

RECOGNITION OF MEDICAL QUALIFICATIONS AWARDED BY THE INSTITUTIONS OR UNIVERSITIES ESTABLISHED IN INDIA

3. **Procedure for recognition of Medical Qualification.-** (1) The degree awarding body established in India duly approved by the National Commission for Indian System of Medicine or erstwhile Central Council of Indian Medicine or Government of India, as the case may be, awarded or awarding degrees in Indian System of Medicine shall apply to the President, Board of Ayurveda or the President, Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa for recognition of medical qualification. The application shall be submitted online in Form-35A appended as Annexure-I, for undergraduate course and in Form-35B appended as Annexure-II, for postgraduate degree or Post Graduate Diploma courses or any other degrees through website of the National Commission for Indian System of Medicine.

(2) The concerned Board shall verify the application on the following criteria, namely:-

(a) the medical Institute or University is duly permitted by the Commission or erstwhile Central Council of Indian Medicine or by the Government of India;

(b) the nomenclature of medical qualification awarded by a medical Institute or University is as specified under concerned regulations of the Commission **or** erstwhile Central Council of Indian Medicine;

(c) the duration of the course of medical qualification is as specified by the Commission **or** erstwhile Central Council of Indian Medicine in the concerned regulations of Ayurveda, Unani, Siddha and Sowa-Rigpa;

(d) the syllabus or curriculum adopted for the course is as recommended by the Commission **or** erstwhile Central Council of Indian Medicine; and

(e) the evaluation system for the course is in accordance with the policies laid down by the Commission or erstwhile Central Council of Indian Medicine;

(3) on verification, if any deficiency found, same shall be intimated to the degree awarding body for rectification within the timeframe specified by the concerned Board;

(4) on rectification of deficiency, if the application fulfills the requisite criteria, the Board shall notify the same as specified in the regulation 5.

(5) after rectification, if application is found not fulfilling the requisite criteria, the application shall be rejected with mentioning the reason thereof.

4. **Appeal.-** (1) The University or degree awarding medical Institutes, if aggrieved by the order of the Board, may prefer an Appeal to the Chairperson of the Commission online or offline in Form-35C in Annexure-III, along with all enclosures as specified within a period of sixty days from the date on which a copy of the order of the Board is made available to the University or degree awarding medical Institutes.

(2) The Commission shall, within a period of two months from the date of receipt of the Appeal, examine the appeal on the criteria mentioned in clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of sub-regulation (2) of regulation 3 and after examination, if the Commission decides that recognition may be granted to such medical qualification, the Commission shall direct the concerned Board to grant recognition.

(3) On examination, if the Appeal is found to be defective, the Commission may reject the appeal and before rejection of appeal, the degree awarding body shall be given a reasonable opportunity of hearing.

(4) In the event of refusal of grant of recognition or failure to decide within specified period of two months by the Commission, the University or degree awarding medical Institutes may prefer a second Appeal to the Central Government addressed to the Secretary, Ministry of Ayush, Government of India, within a period of thirty days from the date of communication of such decision or lapse of specified period by the Commission.

(5) The Central Government shall examine such second appeal on the criteria mentioned in clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of sub-regulation (2) of regulation 3 and if the Central Government decides that recognition may be granted to such medical qualification, it may direct the Commission to grant recognition and include such qualifications as per regulation 5.

(6) If, the Central Government is of the opinion that recognition may not be granted to such medical qualification, the Central Government may reject and dispose such appeal with the reasons to be recorded in writing.

5. Inclusion of medical qualification.- (1) Once a medical qualification has been granted recognition under this Chapter, the Board of Ayurveda or the Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa, as the case may be, shall include such recognised medical qualification along with the date of effect of such recognition in the list separately maintained by the respective Board in the format appended as Annexure-VII, for communicating the details to all States or Union territory Administration which shall be displayed in the Commission's website in the format appended as Annexure-VIII.

(2) For the purposes of inclusion and listing of recognised medical qualifications, a sequence code will be generated which shall be a combination of the abbreviated name of the State or Union territory, serial number of the University or the degree awarding institute, college or Institute code, year of grant of recognition followed by the qualification code and amendments, if any, wherein, -

(a) State or Union territory Administration shall be denoted by the abbreviated name of the State or Union territory, as the case may be, in which the University or degree awarding Institute is located as per the following Table, namely: -

TABLE-1

(Codes of State or Union territory Administration)

Serial number	States or Union territories Administration	Abbreviation
(1)	(2)	(3)
1.	Andhra Pradesh	AP
2.	Arunachal Pradesh	AR
3.	Assam	AS
4.	Bihar	BR
5.	Chhattisgarh	CG
6.	Goa	GA
7.	Gujarat	GJ
8.	Haryana	HR
9.	Himachal Pradesh	HP
10.	Jharkhand	JH
11.	Karnataka	KA
12.	Kerala	KL
13.	Madhya Pradesh	MP
14.	Maharashtra	MH
15.	Manipur	MN
16.	Meghalaya	ML
17.	Mizoram	MZ
18.	Nagaland	NL
19.	Odisha	OD
20.	Punjab	PB
21.	Rajasthan	RJ
22.	Sikkim	SK
23.	Tamil Nadu	TN
24.	Tripura	TR
25.	Telangana	TG
26.	Uttarakhand	UK

27.	Uttar Pradesh	UP
28.	West Bengal	WB
29.	Union territory of Jammu and Kashmir	JK
30.	Union territory of Andaman and Nicobar Islands	AN
31.	Union territory of Chandigarh	CH
32.	Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	DD
33.	Union territory of Delhi	DL
34.	Union territory of Lakshadweep	LD
35.	Union territory of Pondicherry	PY
36.	Union territory of Ladakh	LA

(b) University or degree awarding institute shall be numbered as per their sequential order of application for grant of recognition, for example, first application shall be numbered as '01', second as '02' and so on.

(c) Institute or College code shall be the Institutional ID, allotted by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

(d) Year shall be the year of grant of recognition to the medical qualification by the respective board.

(e) Qualification Code shall be as per the following Table, namely:-

TABLE-2

Serial Number	Qualifications	Codes
(1)	(2)	(3)
1.	Graduation	A
2.	Post-Graduation in Non-Surgical Subjects	B
3.	Post-Graduation in Surgical Subjects	C
4.	Post-Graduate Diploma	D
5.	Any new degrees approved by the National Commission for Indian System of Medicine shall be coded consequently E, F, G and so on.	
6.	Amendments, if any: Any modifications such as change of nomenclature, addition of subjects and the like, shall be coded as A_1 , A_2 A_3….B_1, B_2, B_3…an so on.	

(3) As per sub-section (8) of section 35 of the Act, all the degrees or qualifications recognised or included under Schedule-II and Schedule-III of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (repealed on 11-06-2021) shall be listed and maintained as well as displayed on the Commission's website by the concerned Board of the Commission and there shall not be any further addition or insertion or modification.

CHAPTER III

RECOGNITION OF MEDICAL QUALIFICATIONS AWARDED BY THE INSTITUTIONS OR UNIVERSITIES ESTABLISHED OUTSIDE INDIA

6. Procedure of recognition of medical qualifications outside India.- The Universities or medical Institutions situated outside India duly authorised by the apex bodies or regulatory authorities of their respective countries awarding degrees in Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa-Rigpa systems of medicine are eligible to apply through online portal in Form-36A appended as Annexure-IV, as available on the Commission's website for undergraduate course and in Form-36B appended as Annexure-V, for postgraduate degree or postgraduate diploma courses and any other degrees.

7. **Scrutiny of Application**.- (1) The Commission shall examine the application on the criteria mentioned in clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of sub-regulation (2) of regulation 3 and process the same, submitted under regulation 6 and if, on scrutiny, the application is found to be in order, it shall be duly registered and given a sequence code as provided in sub-regulation (2) of regulation 9.

(2) On scrutiny, if the application is found to be defective, and the defect noticed is formal in nature, the Commission may allow the University or medical institution or apex body or regulatory authority of the respective country to rectify the application, and if the said defects are not formal in nature, the Commission may allow the University or medical institution such time to rectify the defects as it deems fit.

(3) If the University or medical institution or apex body or regulatory authority of the respective country fails to rectify the defects within the time allowed under sub-regulation (2), the Commission may, by order and for reasons to be recorded in writing, declare not to grant the University or medical institution the recognition to such medical qualification and the same shall be communicated to the applicant as well as apex or regulatory authority of the country.

(4) Before refusing a grant of recognition to a University or medical institution or apex body or regulatory authority, the Commission shall give a reasonable opportunity of being heard to such University or medical institution or apex body or regulatory authority.

(5) After hearing such University or medical institution or apex body or regulatory authority, if the Commission is of the opinion that recognition may be granted to such medical qualification, it shall include such qualification and communicate the same to the University or medical institution, apex body or regulatory authority, as the case may be, of their respective country in the format appended as Annexure-IX specified in this regulation and displayed on commission's website in the format appended as Annexure-X in these regulation.

8. **Appeal**.- (1) The University or medical institution or apex body or regulatory authority, as the case may be, of the respective Country, if aggrieved by the order of the Commission may prefer an Appeal to the Central Government addressed to the Secretary to the Government of India, Ministry of Ayush, in Form-36C appended as Annexure-VI.

(2) The Central Government shall examine the appeal on the criteria mentioned in clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of sub-regulation (2) of regulation 3 and if it is of the opinion that recognition may be granted to such medical qualification, it may direct the Commission to grant recognition and include such qualifications in the manner as provided in regulation 9.

(3) If the Central Government is of the opinion that recognition may not be granted to such medical qualification, the Central Government may reject and dispose such appeal with the reasons to be recorded in writing.

9. **Inclusion of medical qualification.-** (1) Once a medical qualification has been granted recognition under this chapter, the Commission shall include the same in the list separately maintained for Ayurveda, Unani, Siddha and Sowa-Rigpa systems of medicine in the specified format appended as Annexure-IX to these regulations and the same shall be displayed in the Commission's website as specified in the format appended as Annexure-X.

(2) For the purposes of inclusion and listing of recognised medical qualification, a sequence code shall be generated which shall be an abbreviated combination in the following order and manner, namely:-

(a) Name of the Country in which University is located;

(b) Name of the University or medical institution;

(c) Name of the College;

(d) The year of recognition by the Commission; and

(e) Nomenclature of the recognised qualifications.

(3) As per sub-section (4) of section 36 of the Act, all the degrees or qualifications recognised or included under Fourth Schedule of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (repealed on 11-06-2021) shall be listed and maintained as well as displayed on the Commission's website by the concerned Board of the Commission and there shall not be any further addition or insertion or modification.

B. L. MEHRA, Secy. In-charge

[ADVT.-III/4/Exty./559/2023-24]

ANNEXURE-I

FORM-35A

(See sub-regulation (1) of regulation 3)

APPLICATION FOR GRANT OF RECOGNITION TO UNDERGRADUATE COURSES (FOR INSTITUTIONS OR UNIVERSITIES WITHIN INDIA)

Instructions: -

1. Application is to be submitted by degree awarding Institute or University.
2. In case multiple Institutes are affiliated to a single University, separate application for each institution is to be submitted.
3. Application may be submitted either after issue of provisional certificate or award of degree or during internship of the first batch.

1.	Name of Degree awarding Body	
2.	Address of Degree awarding Body	
3.	E-Mail ID of Authorised Signatory	
4.	(i) Contact person with Name and Designation (ii) Mobile No. (Contact person) (iii) E-Mail ID (Contact person)	
5.	Medical Stream (Ayurveda or Unani or Siddha or Sowa-Rigpa)	
6.	Name of the Institute	
7.	Nomenclature of Degree	
8.	Abbreviation of Degree (if any)	
9.	Month and Year of admission of first batch	
10.	Issued provisional certificate or awarded degree	Yes/No
	If Yes **i.** Month and Year of passing of final year examination	
	ii. Month and Year of completion of internship	
	iii. Month and year of issue of Provisional certificate or award of degree to the first student of first batch	
	If No **i.** Month and Year of passing of final year examination	
	ii. Date of commencement of internship	
	iii. Expected month and Year of completion of internship	
11.	Degree award is being continued?	Yes/No
	If No Month and year of award of degree to the last student of last batch.	
Note: - Please mention NA wherever not applicable		

Enclosures: -

1. Cancelled copy or specimen of degree in original awarded or to be awarded to the successful candidates.
2. Copy of curriculum and syllabus followed by the University for conducting course.
3. Copies of Permission letters.

Declaration or Certification: -

It is certified that the details furnished or enclosed above are true to the best of my knowledge. I ensure that this University or awarding body is following the rules and the regulations specified by the Government of India as amended from time to time and this University or awarding body is implementing the same in the Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa-Rigpa colleges affiliated to it.

SIGNATURE OF AUTHORISED SIGNATORY OF THE

DEGREE AWARDING BODY WITH SEAL AND DATE

ANNEXURE-II

FORM-35B

(See sub-regulation (1) of regulation 3)

APPLICATION FOR GRANT OF RECOGNITION TO POST GRADUATE COURSES

(FOR INSTITUTIONS OR UNIVERSITIES WITHIN INDIA)

Instructions: -

1. Application is to be submitted by degree awarding Institute or University.
2. In case multiple Institutes are affiliated to a single University, separate application for each institution is to be submitted.
3. Application may be submitted either after issue of provisional certificate or award of degree to the first batch.

1.	Name of Degree awarding Body	
2.	Address of Degree awarding Body	
3.	E-Mail ID of Authorised Signatory	
4.	Contact person (Name and Designation)	
5.	Mobile No. (Contact person)	
6.	Email Id (Contact person)	
7.	Medical Stream (Ayurveda or Unani or Siddha or Sowa-Rigpa)	
8.	Name of the Institute	
9.	Degree award is being continued?	Yes/No
	If No Month and year of award of degree to the last student of last batch.	
Note: - Please mention NA wherever not applicable		

Details of Medical Qualifications (postgraduate courses) to be recognised:

Serial Number	PG Subject	Nomenclature and Abbreviation of Degree	Month and Year of admission of first batch	Month and Year of passing of final year examination of first batch	Month and Year of issue of provisional certificate or award of Degree (awarded or to be awarded) to the first student of first batch	Date and ref. of Letter of permission

Details of Medical Qualifications (postgraduate Diploma courses) to be recognised:

Serial Number	PG-Diploma Subject	Nomenclature and Abbreviation of Degree	Month and Year of admission of first batch	Month and Year of passing of final year examination of first batch	Month and Year of issue of provisional certificate or award of Degree (awarded or to be awarded) to the first student of first batch	Date and ref. of Letter of permission

Enclosure: -

1. Cancelled copy or specimen of degree in original awarded or to be awarded to the successful candidate.
2. Copy of curriculum and syllabus followed by University for conducting course.
3. Copies of Letters of Permission.

Declaration or Certification: -

It is certified that the details furnished or enclosed above are true to the best of my knowledge. I ensure that this University or awarding body is following the rules and the regulations specified by the Government of India as amended from time to time and this University or awarding body is implementing the same in the Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa-Rigpa colleges affiliated to it.

SIGNATURE OF AUTHORISED SIGNATORY OF THE
DEGREE AWARDING BODY WITH SEAL AND DATE

ANNEXURE-III

FORM-35C

(See regulation 4)

FORMAT FOR APPEAL

(FOR INSTITUTIONS OR UNIVERSITIES WITHIN INDIA)

1.	Name of the Aggrieved Degree Awarding Body	
2.	Address of the Aggrieved Degree Awarding Body	
3.	E-Mail ID of concerned Authorised Signatory	
4.	Contact person (Name and Designation)	
5.	Mobile No. (Contact person)	
6.	E-Mail ID (Contact person)	
7.	Medical Stream (Ayurveda or Unani or Siddha or Sowa-Rigpa)	
8.	Name of the Institute	
9.	Nomenclature of Degree	
10.	Abbreviation of Degree (if any)	
11.	Date of First Application to the Board	
12.	Date of denial of the Application by the concerned Board	
13.	The reason of the denial of application by the concerned Board	
14.	Appeal or Prayer of the Degree awarding body along with relevant documents	
Note:- Please mention NA wherever not applicable		

Declaration: -

It is declared that the details above furnished or enclosed are true to the best of my knowledge.

SIGNATURE OF AUTHORISED SIGNATORY OF THE
DEGREE AWARDING BODY WITH SEAL AND DATE

ANNEXURE-IV

FORM-36A

(See regulation 6)

APPLICATION FOR GRANT OF RECOGNITION TO UNDERGRADUATE COURSES
(FOR INSTITUTIONS OR UNIVERSITIES OUTSIDE INDIA)

Instructions: -

1. Application is to be submitted by degree awarding medical Institute or University through online portal of National Commission for Indian System of Medicine.
2. In case multiple Institutes are affiliated to a single University, separate application for each institution is to be submitted.
3. Application is to be submitted after award of degree.

1.	Name of the Institute conducting courses	
2.	Name of the Apex Body that approved the courses applied for recognition	
3.	Name of Affiliating University	
4.	Address of the University	
5.	E-Mail ID of University Registrar or Authorised official	
6.	Contact person (Name and Designation)	
7.	Mobile No. (Contact person)	
8.	Country Code	
9.	E-Mail ID (Contact person)	
10.	Medical Stream (Ayurveda or Unani or Siddha or Sowa-Rigpa)	
11.	Nomenclature of the Degree	
12.	Abbreviation of Degree (if any)	
13.	Month and Year of admission of first batch	
14.	Month and Year of Degree awarded to the First Student of first batch	
15.	Degree award is being continued?	Yes/No
	If No Month and year of award of degree to the last student of last batch	
Note: - Please mention NA wherever not applicable		

Enclosure: -

1. Cancelled copy or specimen of degree in original awarded or to be awarded to the successful candidates.
2. Copy of curriculum and syllabus followed by University for conducting course.
3. Copy of Permission letters.

Declaration or Certification: -

It is certified that the details above furnished or enclosed are true to the best of my knowledge. I ensure that this University or awarding body is following the rules and the regulations specified by the Government of India as amended from time to time and this University or awarding body is implementing the same in the Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa-Rigpa colleges affiliated to it.

SIGNATURE OF AUTHORISED SIGNATORY OF THE

DEGREE AWARDING BODY WITH SEAL AND DATE

ANNEXURE-V

FORM-36B

(See regulation 6)

APPLICATION FOR GRANT OF RECOGNITION TO POST GRADUATE COURSES

(FOR INSTITUTIONS OR UNIVERSITIES OUTSIDE INDIA)

Instructions: -

1. Application is to be submitted by degree awarding Institute or University or Apex body through online portal of National Commission for Indian System of Medicine.
2. In case multiple Institutes are affiliated to a single University, separate application for each institution is to be submitted.
3. Application is to be submitted after award of degree.

1.	Name of the Institute conducting courses	
2.	Name of the Apex Body that provide Approval for the applied course	
3.	Name of the affiliating University	
4.	Address of the University	
5.	E-Mail ID of University Registrar or authorized official	
6.	Contact person (Name and Designation)	
7.	Mobile No. (Contact person)	
8.	E-mail Id (Contact person)	
9.	Medical Stream (Ayurveda or Unani or Siddha or Sowa-Rigpa)	
10.	Degree award is being continued?	Yes/No
	If No Month and year of award of degree to the last student of last batch	
Note: - Please mention NA wherever not applicable		

Details of Medical Qualifications (postgraduate courses) to be recognised:

Serial Number	PG Subject	Nomenclature and Abbreviation of Degree	Month and Year of admission of first batch	Month and Year of passing of final year examination of first batch	Month and Year of award of Degree

Details of Medical Qualifications (postgraduate Diploma courses) to be recognised:

Serial Number	PG-Diploma Subject	Nomenclature and Abbreviation of Degree	Month and Year of admission of first batch	Month and Year of passing of final year examination of first batch	Month and Year of issue of award of Degree to the first student of first batch

Enclosure: -

1. Cancelled copy or specimen of degree in original awarded to the successful candidate.
2. Copy of curriculum and syllabus followed by the University for conducting course.
3. Copies of Letters of Permission.

Declaration or Certification: -

It is certified that the details above furnished or enclosed are true to the best of my knowledge. I ensure that this University or awarding body is following the rules and the regulations specified by the Government of India as amended from time to time and this University or awarding body is implementing the same in the Ayurveda Siddha Unani and Sowa-Rigpa colleges affiliated to it.

SIGNATURE OF AUTHORISED SIGNATORY OF THE

DEGREE AWARDING BODY WITH SEAL AND DATE

ANNEXURE-VI

FORM-36C

(See regulation 8)

FORMAT FOR APPEAL

(FOR INSTITUTIONS OR UNIVERSITIES OUTSIDE INDIA)

1.	Name of the country in which degree awarding body is located	
2.	Name of the Institute conducting courses	
3.	Name of the Apex Body that provide Approval for the applied course	
4.	Name of Aggrieved degree awarding body	
5.	Address of the Aggrieved degree awarding body	
6.	E-Mail ID of University Registrar or Authorised official	
7.	Contact person (Name and Designation)	
8.	Mobile No. (Contact person)	
9.	Country Code	
10.	E-Mail ID (Contact person)	
11.	Medical Stream (Ayurveda or Unani or Siddha or Sowa-Rigpa)	
12.	Nomenclature of the Degree	
13.	Abbreviation of Degree (if any)	
14.	Date of First Application to the Board	
15.	Date of denial of the Application by the concerned Board	

16.	The reason of the denial of application by the concerned Board	
17.	Appeal or Prayer of the Aggrieved degree awarding body	
18.	The justification of appeal	
Note: - Please mention NA wherever not applicable		

Declaration: -

It is declared that the details above furnished or enclosed are true to the best of my knowledge.

SIGNATURE OF AUTHORISED SIGNATORY OF THE
DEGREE AWARDING BODY WITH SEAL AND DATE

ANNEXURE –VII

(See regulation 5)

Format for communicating the details of recognised medical qualification to States or Union territory Administration

Serial Number	File no. and date	State.	Name of University.	Name of College.	Recognised Medical Qualification and Abbreviation.	Sequence Code.	Validity Period.

ANNEXURE –VIII

(See regulation 5)

Format for the details of recognised medical qualification for display in National Commission for Indian System of Medicine website (For section 35 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020)

Serial Number	State.	Name of University.	Name of College.	Recognised Medical Qualification and Abbreviation	Sequence Code.	Validity Period of recognition.	Specimen Degree certificate submitted by the University.	Copy of Notification.

ANNEXURE -IX

(See regulation 9)

Format for communication details of medical qualification granted recognition

Serial Number	File no. and date.	Country.	Name of University.	Name of College.	Recognised Medical Qualification and Abbreviation.	Sequence Code.	Validity Period.

ANNEXURE -X

(See regulation 9)

Format for the details of recognised medical qualification for display in National Commission for Indian System of Medicine website (For section 36 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020)

Serial Number	Country.	Name of University.	Name of College.	Recognised Medical Qualification and Abbreviation.	Sequence Code.	Validity Period of recognition.	Specimen Degree certificate submitted by University.	Copy of Notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.11.30 21:21:24 +05'30'